

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

सुशांत झा,
विशेष सचिव,

सेवा में,

प्राचार्य,

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय/ एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर/
अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली एवं अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका

पटना, दिनांक

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट "मुख्यशीर्ष -2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष- 112- इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या- 43, उपशीर्ष -0101- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" विपत्र कोड 43-2203001120101 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3258, दिनांक 03.12.2018 के द्वारा विभागान्तर्गत 4 (चार) अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय, एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर, अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली एवं अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक एवं जरनल्स के क्रय हेतु कुल रु. 50,00,000=00 (पचास लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 13 01 कार्यालय विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि से संबंधित संस्थानों को कुल रु. 50,00,000=00 (पचास लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

| विषयशीर्ष | रा. रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय | एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर | अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली | अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका | कुल आवंटित राशि |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 01 कार्यालय व्यय | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 |
| | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ङ) |

(क) दस लाख रुपये मात्र।

(ख) बीस लाख रुपये मात्र।

(ग) दस लाख रुपये मात्र।

(घ) दस लाख रुपये मात्र।

(ङ) पचास लाख रुपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या -2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-6903, दिनांक 13.09.2018 एवं पत्रांक-868, दिनांक 10.12.2018 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषय शीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या

सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वि.त्ता विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि. दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी.भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह./ -

(सुशांत झा)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब³-14/2016-

/पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वि.त्ता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

विशेष सचिव

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब³-14/2016-

/पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, राजकीय बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली (हाजीपुर) एवं बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -


विशेष सचिव

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब³-14/2016-

88 (11)

/पटना, दिनांक : 20/12/18

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो.)/ योजना सहायक/आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष सचिव



20/12/18